PUBLIC NOTICE

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH &

IN THE COURT OF HON'BLE CIVIL JUDGE (SR. DIVISION), BATHINDA

Caveat Application No. ________/2024

That the Caveator is Central University of Punjab, Bathinda and has initiated public Advertisement No. CUPB/24-25/009 dated 05.11.2024 for recruitments of Teaching and Non-Teaching posts where appointment likely to take place. Any person from the public at large aggrieved by the recruitment process may file Petition/Stay Application before the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh and the Hon'ble District Courts, Bathinda and may pray for the stay to the recruitment process of above noted advertisement by the caveator University.

That the humble applicant(s) want to enter into caveat and let nothing be done till the applicants are heard in the matter. The particulars of the Petition/Stay Application which is likely to be filed are given below:

That the Petition/Stay Application may be filed by any of the following persons:

1. General Public

That the Petition/Stay Application is likely to be filed against all or any of the following applicants:

1. Central University of Punjab, Village Ghudda, Distt. Bathinda through its Executive Council.
2. Central University of Punjab, Village Ghudda, Distt. Bathinda through its Vice-Chancellor.
3. Central University of Punjab, Village Ghudda, Distt. Bathinda through its Registrar.
4. Central University of Punjab, Village Ghudda, Distt. Bathinda.
5. Recruitment Cell, Central University of Punjab, Village Ghudda, Distt. Bathinda.

That the Petition/Stay Application which is likely to filed will be Petition/Stay Application No. _________/2024 or 2025. The Vakalatnama on behalf of the above-mentioned applicant through the Registrar is being filed along with the caveat.

It is therefore, humbly prayed that nothing may be done in the case till the applicants are heard.

Village: Ghudda (Bathinda) Date: 07/12/2024

Humble Applicant(s)
Through his/her Counsel(s)

Advocate Ashish Chaudhary
Senior Panel Counsel, GoI
High Court of Punjab & Haryana
at Chandigarh

Advocate Rajinder Parshad Sharma
Central Govt. Standing Counsel,
District Court, Bathinda

सार्वजनिक सूचना का हिंदी रूपान्तर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

सार्वजनिक सूचना

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ एवं माननीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), बठिंडा में

कैविएट आवेदन सं. ________/2024

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा कैविएट दायरकर्ता है और उसने शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती के लिए सार्वजनिक विज्ञापन सं. सीयूपीबी/24-25/009 दिनांक 05.11.2024 प्रकाशित किया है, जिसके अधीन नियुक्ति होने की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया से व्यथित आम जनता में से कोई भी व्यक्ति माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ और माननीय जिला न्यायालय, बठिंडा के समक्ष याचिका/स्थगन आवेदन दायर कर सकता है और कैविएट दायरकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्रार्थना कर सकता है।

आवेदक विनम्रतापूर्वक कैविएट दायर करना चाहता है कि जब तक मामले में आवेदकों की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी नहीं होने दिया जाए। संभावित याचिका/स्थगन आवेदन का विवरण नीचे दिया गया है:

यह कि, याचिका/स्थगन आवेदन निम्नलिखित व्यक्ति(यों) द्वारा दायर किया जाना संभावित है:

1. आम जन

यह कि, याचिका/स्थगन आवेदन निम्नलिखित व्यक्ति(यों) के विरुद्ध दायर किया जाना संभावित है:

1. अपनी कार्यकारिणी परिषद् के माध्यम से पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांव घुद्दा, जिला बठिंडा
2. अपने कुलपति के माध्यम से पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांव घुद्दा, जिला बठिंडा
3. अपने कुलसचिव के माध्यम से पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांव घुद्दा, जिला बठिंडा
4. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांव घुद्दा, जिला बठिंडा
5. भर्ती प्रकोष्ठ, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांव घुद्दा, जिला बठिंडा

यह कि जो याचिका/स्थगन आवेदन दायर होने की संभावना है, वह याचिका/स्थगन आवेदन सं. ________/2024 या 2025 होगी। कुलसचिव के माध्यम से उपर्युक्त आवेदक की ओर से वकालतनामा कैविएट के साथ दायर किया जा रहा है।

अतः विनम्र निवेदन है कि जब तक आवेदकों की बात नहीं सुनी जाती, तब तक इस मामले में कुछ भी न किया जाए।

गांव: घुद्दा, जिला (बठिंडा) दिनांक 07/12/2024

विनम्र आवेदक

अपने काउन्सेल की माध्यम से

अधिवक्ता आशीष चौधरी
वरिष्ठ पैनल वकील, भारत सरकार
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
चंडीगढ़

अधिवक्ता राजिंदर पार्षद शर्मा
केंद्र सरकार के स्थायी वकील,
जिला न्यायालय, बठिंडा